न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

29 / 2023

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री श्रीनारायण शर्मा निवासी ग्राम ढोला का खेडा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 9.10.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.07.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 405 दिनाक 19.07.2023 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू. अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1 प्रार्थी द्वारा श्रीमान् जिलाधीश महोदय, (भू—अभिलेख) टोंक, को भेजे गये पत्र दिनांक 22.3.2023 पर आज दिनांक तक की गई कार्यावाही व प्राप्त रिर्पोट की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराये।

2 लोकायुक्त सचिवालय में प्रस्तुत परिवाद कंमाक एफ 11 (9) LAS/2023 में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 01.05.2023 व 05.06.2023 पर आप द्वारा की गई कार्यावाही व प्राप्त रिर्पोट मय संग्लन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराये।

3 लोकायुक्त सचिवालय में प्रस्तुत परिवाद कंमाक एफ 11 (9) LAS/2021 में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 21.3.2023, 12.05.2023 व 30.06.2023 पर आप द्वारा की गई कार्यावाही व प्राप्त रिर्पोट मय संग्लन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 816 दिनांक 16.08.2023, 849 दिनांक 04.09.2023, 864 दिनांक 18.09.2023 व 888 दिनांक 04.10.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक / 2020 / 5591 दिनाक 29.09.2023 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी

जिला कलेक्टर
टोंक

को उनके पत्र क्रमांक 4543 दिनांक 18.08.2023 से सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी भू.अ.शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. ओमप्रकाश बैरवा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक